

क्रमांक/ट्रायफेक/प्रशासन/2017/2193

भोपाल, दिनांक 07/07/2017

आदेश

मध्यप्रदेश ट्रायफेक सेवा नियम 2017 की कण्डिका क्रमांक 3.2 के अध्याधीन वर्तमान में ट्रायफेक अथवा उसकी सहायक कम्पनियों की स्थापना में सेवारत अधिकारी/कर्मचारी को इन नियमों से शासित होने अथवा न होने के विकल्प का अधिकार दिया गया है।

इस अनुक्रम में एतद् द्वारा आदेशित किया जाता है कि उक्त अनुसार समस्त सेवारत अधिकारी/कर्मचारी अपना विकल्प निर्धारित प्रारूप में नियंत्रणकर्ता कार्यालय में दिनांक 21 जुलाई 2017 तक या इसके पूर्व प्रस्तुत करें।

o/c




(डी. पी. आहूजा)
प्रबंध संचालक

पृष्ठांकन क्रमांक/ट्रायफेक/प्रशासन/2017/2194-220 भोपाल, दिनांक 07/07/2017
प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय भोपाल,
2. समस्त प्रबंध संचालक, ए.के.व्ही.एनस एवं आईआईडीसी ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थों से प्राप्त विकल्प समेकित जानकारी के साथ एमपी ट्रायफेक कार्यालय में दिनांक 22 जुलाई 2017 तक प्रस्तुत करें।
3. मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन), एमपी ट्रायफेक।

संलग्न: निर्धारित विकल्प प्रारूप।

o/c



07.07.2017

प्रबंध संचालक

मध्यप्रदेश ट्रायफेक सेवा नियम-2017 अन्तर्गत
विकल्प प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित प्रपत्र

मैं पिता/पति

पदनाम कार्यालय

"मध्यप्रदेश ट्रायफेक सेवा नियम 2017" का पूर्ण संज्ञान लेते हुए एतद् द्वारा पूर्ण विवेक से नियम की कण्डिका क्रमांक 3.2 के प्रावधान के अधीन उपलब्ध विकल्प प्रस्तुत करने के अधिकार का उपयोग करते हुए आज दिनांक को इन सेवा नियमों से शासित होने की सहमति प्रदान करता हूं।

साक्षी :

- | | | |
|----|-----------|--------------------------------|
| 1. | हस्ताक्षर | हस्ताक्षर |
| | नाम: | नाम: |
| | | पदनाम: |
| 2. | हस्ताक्षर | मूल पद का वेतनमान: |
| | नाम: | निगम/सहायक कंपनी का नाम: |

प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि विकल्प प्रपत्र में अंकित तथ्य अभिलेखीय आधार पर सत्य है।

प्रबंध संचालक/प्राधिकृत अधिकारी

एम.पी. ट्रायफेक/ए.के.व्ही.एन/आई.आई.डी.सी.

दिनांक :